# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं. ईसीआई/पीएन/68/2015 दिनांकः 17 दिसम्बर, 2015

## प्रेस नोट

**'राजनीति में धन का प्रयोग एवं जन प्रतिनिधित्व पर उसका प्रभाव पर क्षेत्रीय सम्मेलन'**
**नई दिल्ली घोषणा 2015 का अंगीकरण**

नई दिल्ली- 'राजनीति में धन का प्रयोग एवं जन प्रतिनिधित्व पर उसका प्रभाव' नामक विषय पर द्विदिवसीय क्षेत्रीय सम्मलेन का समापन दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणा 2015 के रूप में हुआ। भारत के माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डॉ. नसीम जैदी द्वारा सुश्री लीना रिक्कीला तमांग, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया एवं प्रशांत, इंटरनेशनल आई.डी.ई.ए. के साथ मिलकर यह घोषणा बुधवार, 16 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली में की गई।

फोटो (बाएं से दाएं): श्री विवेक खरे (निदेशक, आईआईआईडीईएम, श्री सुदीप जैन (महानिदेशक आईआईआईडीईएम), श्री ओ.पी. रावत (भारत के माननीय निर्वाचन आयुक्त), डॉ. नसीम जैदी (माननीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत), श्री ए.के. जोति (माननीय निर्वाचन आयुक्त, भारत), डॉ. एस.वाई. कुरैशी (भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त), सुश्री लीना रिक्कीला तमांग, क्षेत्रीय निदेशक, एशिया एवं प्रशांत, अंतर्राष्ट्रीय आई.डी.ई.ए.

इस सम्मेलन का आयोजन भारत निर्वाचन आयोग, अंतर्राष्ट्रीय आई.डी.ई.ए. (एक अंतर-सरकारी निकाय जिसका भारत एक संस्थापक सदस्य है) एवं भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान (आईआईआईडीईएम) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ऐसा पहली बार हुआ कि इसमें हितधारकों ने राजनीतिक वित्त विनियमन के मुद्दों पर विचार करने और इनका समाधान निकालने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर आयोजन किया। इस सम्मेलन में इस रीजन के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। प्रतिभागियों में मि. अहमद सुलमान, चेयरमैन, मालदीव निर्वाचन आयोग, डॉ. अयोधी प्रसाद यादव, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, नेपाल, दाशो कुनजांग वांगड़ी, पूर्व मुख्यतः निर्वाचन आयुक्त, भूटान, मि. अहमद बिलाल महबूब, प्रेसीडेंट पाकिस्तान इन्स्टीच्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेन्सी (पीआईएलडीएटी), मि. इब्राहिम गफूरी, निदेशक, लोकतंत्र एवं मानवाधिकार, दक्षेस सचिवालय, नेपाल, और डॉ. सैमुअल रत्नजीवन हर्बर्ट हूले, श्री लंका निर्वाचन आयोग शामिल थे। अन्य प्रतिभागियों में जो मुख्यतः हितधारक शामिल थे उनमें भारत के मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों नामतः भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआई), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्कर्ससिस्ट (सीजीआई-एम), और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी), सिविल सोसायटी संगठनों के प्रतिनिधिगण, अकादमी सदस्य, पत्रकार (शेष एशिया के, विशेषकर बांग्लादेश, मलेशिया, मालदीव के साथ-साथ यूरोप के), दक्षिण एशिया के निर्वाचन प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधिगण, भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचक आयुक्त, श्री नवीन चावला, डॉ. एस.वाई. कुरैशी, श्री वी.एस. सम्पत, श्री एच.एस. ब्रह्मा, शामिल थे।

दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणा, 2015, जो सदन द्वारा सर्वसम्मति से अंगीकृत की गई, दक्षिण एशिया रीजन में और दुनिया में अन्यत्र राजनीतिक वित्त (धन की असमान सुलभता या उपयोग) के विनियमन को सुदृढ़ीकृत करने, जिससे कि सभी राजनीतिक दलों को समान मौके मिल पाना और अंततोगत्वा विशेष हितों के बजाय लोक कल्याण की पूर्ति होती हो, की जरूरतों के प्रत्युत्तर में है।

इसमें विनियमन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने, समेकित कवरेज, अनुवीक्षण दूरियों को पाटने, निर्वाचकीय लोकतंत्र में महिलाओं की प्रतिभागिता सुकर करने के साथ-साथ हितधारकों एवं एजेंसियों के साथ प्रयासों का समन्वयन करने सहित नौ व्यापक सिद्धांत अंतर्विष्ट किए गए हैं।

व्यापक सिद्धांतो में मौजूदा प्रक्रियाओं एवं विनियमों के कार्यान्वयन में कमियों एवं बच निकलने के रास्तों को बंद करके राजनीतिक वित्त के विनियमन के प्रति एक समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण रखा गया है। इसमें खर्चों एवं योगदानों के अनुवीक्षण के लिए एक बेहतर व्यवस्था का निर्माण करके सभी राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों के लिए एकरूपता बनाए रखने की जरूरत रेखांकित की गई है।

घोषणा में खर्च करने के तर्कसंगत स्तर बनाए रखने, गैर-सरकारी अंशदानों के विनियमन, और राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक निधीयन की व्यवस्था करने, राज्यीय

संसाधनों के दुरुपयोग को रोकने, राजनीतिक वित्त के सार्वजनिक प्रकटन, विनियामकीय प्राधिकारी, अनुपालन, और प्रवर्तन के साथ-साथ अन्य विषयों पर नौ विनियम एवं क्रियान्वयनकारी दिशा-निर्देश भी हैं।

विनियमन एवं क्रियान्वयन दिशा-निर्देशों में अभ्यर्थियों, राजनीतिक दलों एवं तृतीय पक्षकारों के प्रचार व्यय को सीमित करने की चेष्टा की गई है। इसमें कारपोरेट फंडिंग एवं गुमनाम संदानों के साथ सार्वजनिक एवं निजी अंशदानों को विनियमित करने के विषय का विश्लेषण किया गया। राज्यीय संसाधनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाना और राजनीतिक वित्त के सार्वजनिक प्रकटन को प्रोत्साहनों के साथ बढ़ावा देना भी दिशा-निर्देशों का हिस्सा बना है। और अधिक पारदर्शिता के लिए कानूनों के प्रवर्तन के जरिए अनुपालन पर जोर दिए जाने के साथ वित्तीय विवरणों की रिपोर्टिंग की एक व्यवस्थित एवं प्रणाली द्वारा पठनीय फार्मेट भी दिशा-निर्देशों में अंतर्विष्ट किया गया है।

इन व्यापक सिद्धांतों एवं दिशा-निर्देशों का, जो घोषणाओं की संस्तुतियां हैं, दक्षिण एशियाई रीजन में और अन्यत्र उनके क्षेत्राधिकारों में स्थानीय संदर्भों के अनुरूप समुचित उपयोग किए जाने के लिए निर्वाचन प्रबंधन निकायों (ईएमबी) में प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

**(धीरेन्द्र ओझा)**
**निदेशक**

# दक्षिण एशिया में राजनीतिक वित्त विनियमन पर
# नई दिल्ली-घोषणा

**बुधवार, 16 दिसंबर, 2015**

## वृतांत एवं पृष्ठभूमि

आज की गतिशील दुनिया में लोकतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति के रूप में माना जाने लगा है। दुनियाभर में लोकतांत्रिक संरचनाओं के विभिन्न रूप जनता की जिंदगियों को अभिशासित करते हैं। किसी देश ने अपनी अनुभूत जरूरतों और अपने नागरिकों की आकांक्षाओं के उपयुक्त चाहे जो भी निर्वाचकीय प्रणाली अपनाई हो, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन सभी के आधार स्तंभ हैं।

हालांकि, यह बात पूरे विश्वास के साथ नहीं कही जा सकती कि कोई तंत्र बिल्कुल उपयुक्त है और सभी निर्वाचकीय तंत्र एक या दूसरे प्रकार के कदाचार से ग्रसित हैं। धन बल और निर्वाचकीय परिणामों पर उसका घातक परिणाम एक ऐसा ही कदाचार है जो सभी देशों को एक समान रूप से प्रभावित कर रहा है। इसलिए, हर तरफ इस बात की पुरजोर जरूरत महसूस की जा रही है कि निर्वाचकीय मुकाबलों में धन बल के उपयोग, या बल्कि दुरुपयोग का विनियमन किया जाए।

इस चिंताजनक परिदृश्य पर विचार-विमर्श करने के स्वीकृत उद्देश्य के साथ "राजनीति में धन का प्रयोग एवं जन प्रतिनिधित्व पर उसका प्रभाव" पर 15 एवं 16 दिसंबर, 2015 को नई दिल्ली (भारत) में इंटरनेशनल आई.डी.ई.ए. और आईआईआईडीईएम द्वारा संयुक्त रूप से एक द्विदिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह सम्मेलन इंटरनेशनल आई.डी.ई.ए. द्वारा दिसंबर 2014 में पेरिस में, जून 2015 में ब्रासीलिया में और सितंबर 2015 में मैक्सिको में आयोजित सदृश सम्मेलनों की श्रृंखला में और फेम्बोसा (फोरम ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज ऑफ साउथ एशिया) द्वारा काठमांडु, नेपाल में 29-30 नवंबर, 2014 को "प्रचार वित्त का विनियमनः स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना" पर आयोजित सम्मेलन की कड़ी के रूप में आयोजित किया गया था।

समस्याओं के सभी पहलुओं पर विस्तृत गहन विचार-विमर्श करने के उपरांत सम्मेलन ने निम्नलिखित-घोषणा का सर्वसम्मत रूप में राजनीतिक वित्त विनियमन पर नई दिल्ली घोषणा के रूप में समर्थन किया।

**राजनैतिक दलों, निर्वाचन प्रबंधन निकायों, सिविल सोसाइटी सगंठनों, मीडिया के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय संगठनों के प्रतिनिधि 15-16 दिसम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो कि 'राजनीति में धन का प्रयोग और जन प्रतिनिधित्व पर उसका प्रभाव' विषय पर था, में निर्वाचनों और राजनैतिक दलों के क्रियाकलापों के वित्तपोषण के प्रभावी विनियमन की पहचान करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धांतों की सिफारिश करते हैः-**

**क. व्यापक सिद्धांत**

**क.1 विनियमन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाना**

i. राजनैतिक वित्तपोषण के विनियमन के प्रति समग्र एवं एकीकृत दृष्टिकोण रखना जिसमें इस तथ्य पर ध्यान रखा जाएगा कि विनियमन एक - दूसरे के संयोजन से किस प्रकार कार्य करता है और इससे टुकड़ों में परिणाम मिलने की अपेक्षा इच्छित परिणाम मिलने की अधिक संभावना है।

**क.2 कवरेज में एकरूपता**

i. यदि कमियों को बने रहने दिया जाएगा तो विनियमों का न्यूनांकन होगा। विनियमों में दलीय सामान्य गतिविधियां और प्रचार अभियान अवधि दोनों ही कवर होने चाहिएं और यह दलों तथा अभ्यर्थियों दोनों पर ही लागू होना चाहिए। सभी निर्वाचनों सहित राजनैतिक दलों के केन्द्रीय और स्थानीय दोनों ही स्तर विनियमन के अध्यधीन होने चाहिएं।

**क.3 अनुवीक्षण संबंधी कमियों को दूर करना**

i. यदि कमियों को बने रहने दिया जाएगा तो विनियमों का न्यूनांकन होगा। यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि विनियमों के कार्यान्वयन के अनुवीक्षण में कोई कमी न रहने पाए।

**क.4 सीमाबन्धन की पहचान करना**

i. धन और राजनीति के मध्य अच्छे संबंध और अन्य तत्वों पणधारियों/एजेंसियों पर भी निर्भर करते हैं यथा विधि के शासन द्वारा संरक्षित जीवन्त सिविल सोसाइटी और मीडिया तथा स्वतंत्र न्यायपालिका।

**क.5 रचनात्मक इंटरवेंशन डिजाइन करना**

i. राजनीतिक वित्त विनियमों को डिजाइन करते समय विद्यमान चुनौतियों का सामना करने के लिए रचनात्मक इंटरवेंशन आवश्यक हैं। नियामक ढांचे के लिए अपेक्षित अवयवों को संदर्भ विशेष की आवश्यकतानुसार तैयार किया जाना चाहिए।

**क.6 अन्य पणधारियों/एजेंसियों के साथ प्रयासों में समन्वय**

i. राजनैतिक वित्त विनियमों को राजनैतिक दलों और अन्य पणधारियों तथा संस्थानों यथा कर प्राधिकारियों, बैकिंग क्षेत्र तथा भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियो इत्यादि के सामंजस्य से और तालमेल बैठाकर डिजाइन करना एवं लागू करना चाहिए।

**क. 7. राजनीतिक जीवन में सहभागिता हेतु समान अवसर प्रदान/उपलब्ध करवाना**

i. निर्वाचनों में एक समान अवसर उपलब्ध करवाने को राजनीतिक वित्त विनियमों में उच्चतम प्राथमिकता के व्यापक रूप में मान्यता दी गई है इसमें यह आशय निहित है कि प्रत्येक दल, अभ्यर्थी, नागरिक को राजनीतिक जीवन में सम्मिलित होने और अपना संदेश प्रसारित करने के लिए समुचित विनियमन और सुविधा प्रदान की जाए।

ii. राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निधि की आवश्यकता होती है। पार्टी कार्यालय और सदस्यता बनाए रखने, मतदाताओं को नीति संबंधी सूचना देने और प्रचार अभियान चलाने, इन सभी में निधि की आवश्यकता होती है। दलों और अभ्यर्थियों की निधि के प्रवाह को तभी विनियमित किया जाना चाहिए जहां लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों यथा एक समान अवसर उपलब्ध कराना, वोट की समानता और लोगों के प्रतिनिधित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डालने से धन के प्रयोग को रोका जाना आवश्यक हो।

**क.8. निर्वाचकीय लोकतंत्र में महिलाओं की सहभागिता सुगम बनाना**

i. पहुंच संबंधी अन्तर तथा धन का प्रभाव जो राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को कम करता है, की पहचान करना, लिंग संवेदी विनियम बनाना ताकि महिलाओं की सहभागिता आसान हो सके।

**क.9. तार्किक विनियमन**

i. विनियम यथार्थवादी तथा कार्यान्वयन योग्य होने चाहिएं न कि अनावश्यक रूप से बाध्यकारी अथवा बहु-दलीय राजनीति की स्पर्धात्मक गतिविधियों को बाधित करने

वाले अथवा दलों अभ्यर्थियों पर अनुचित रूप से दबाव डालने वाले नहीं होने चाहिएं।

**ख. विनियम और कार्यान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश**

**ग. 1. व्यय का उचित स्तर बनाए रखना**

i. विशुद्ध प्रतियोगिता और निर्वाचन हेतु एक समान अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता के मध्य संतुलन बनाने के लिए वित्तीय विनियमों को यथार्थवादी, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों और नागरिकों की प्रत्येक न्यायसंगत आवश्यकता का संरक्षण करने वाला होना चाहिए। इनमें प्रचार सामग्री सेवाओं और विज्ञापन की वास्तविक लागत पर विचार होना चाहिए।

ii. सीमा निर्धारित करते समय स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

iii. अधिकतम व्यय सीमा में सामान्यतः पूर्ण या सापेक्ष राशि शामिल होती है जिसका निर्धारण किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता जनसंख्या और प्रचार सामग्री तथा सेवाओं हेतु लागत जैसे कारकों द्वारा किया जाता है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या के आधार पर सीमाओं को वार्षिक रूप से निर्धारित किया जा सकता है।

iv. इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में पेड निर्वाचकीय विज्ञापनों की सीमाबंदी करना और अधिकतम सीमा रखना एक ऐसा उपाय है जो खर्च को प्रभावी और प्रर्वतनीय दोनों ही प्रकार से कम कर सकता है। ऐसा प्रतिबंध प्रचार अभियान की लागत को कम रखने में प्रभावी रहा है।

v. व्यय सीमाएं अन्य अधिकारों जैसे संघ बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के संरक्षण की समान रूप से न्यायसंगत आवश्यकता से संतुलित होनी चाहिए।

vi. प्रचार अभियान व्यय की अधिकतम सीमा में पार्टी की विभिन्न शाखाओं द्वारा व्यय शामिल होना चाहिए, यह पार्टियों और अभ्यर्थियों पर समान रूप से तथा आदर्शतः तृतीय पक्ष पर भी लागू होनी चाहिए।

vii. अभ्यर्थियों के निजी वित्त से निधियां भी समग्र प्रचार व्यय सीमा में शामिल की जानी चाहिएं।

viii. खर्च को प्रभावी ढंग से विनयमित करने के लिए विभिन्न खर्चों और उन पर लागू नियमों अर्थात् प्रचार व्यय और पार्टी के सामान्य व्यय, तृतीय पक्ष व सार्वजनिक धन के व्यय इत्यादि के मध्य स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

**ख.2. निर्वाचकीय लोकतन्त्र की अखंडता के संरक्षण के लिए प्राइवेट अंशदानो का विनियमन**

i. यह सुनिश्चित करना कि लोकतंत्र के केन्द्र में नागरिक रहे, न कि बड़े दानकर्ताओं का हित, इसलिए यह तर्कसंगत है कि किसी व्यक्ति या निगम द्वारा दानस्वरूप दिए जाने वाले प्राइवेट वित्त पोषण की राशि की सीमा तय की जाए।

ii. नामरहित दानों को सख्ती से विनयमित किया जाए तथा यदि सीधे तौर पर प्रतिबंधित नहीं किया जाता है, तो इस राशि की सीमा उतनी होनी चाहिए जितनी कि स्वीकार्य हो, तथा ना कि राजनीतिक प्रक्रिया को असम्यक रूप से प्रभावित करने के जोखिम पर। कई स्थापित लोकतंत्रों में इस प्रकार की सीमा रेखा निर्धारित है।

iii. विदेशी नागरिकों तथा विदेशी इकाईयों से दान लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। जहां कहीं लागू हो, दोहरी नागरिकता वाले नागरिकों से दान लेने की अनुमति दी जा सकती है।

iv. दानकर्ताओं तथा राजनीतिक दलों के मध्य लेन-देन की संभावना पर सख्त निगरानी अवश्य रखी जाए।

v. वित्तीय तथा वस्तु रूप, दोनों ही अंशदानों पर कोई सीमा लागू होनी चाहिए।

**ख. 3. राजनीतिक दलों के लिए सार्वजनिक निधि उपलब्ध कराना**

i. सार्वजनिक निधि (मौद्रिक तथा वस्तु रूप, दोनों) का प्रावधान राजनीतिक दलों की बड़े निजी-दानकर्ताओं पर निर्भरता को कम कर सकता है और वित्तपोषण को और अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बना सकता है। यद्यपि, सार्वजनिक निधि तब अत्यन्त प्रभावी होती है जब इसे अन्य विनियामक उपायों जैसे व्यय की अधिकतम सीमा का निर्धारण, राजनीति को अपराध मुक्त करना, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र तथा वित्तीय पारदर्शिता एवं भ्रष्टाचार-निरोधक नियमों का अनुपालन, के संयोजन में लागू किया जाए। इसमें अन्यथा जोखिम यह है कि पहले से व्यय की जा रही कुल धन राशि में मात्र सार्वजनिक निधि और जुड़ जाएगी।

ii. सार्वजनिक निधि का वितरण बिना शर्त के नहीं किया जाए। इसके प्रावधान राजनीति में धन की भूमिका में और अधिक सुधार लाने तथा राजनीतिक दलों एवं अथवा अभ्यर्थियों के व्यवहार को प्रभावित करने में एक प्रभावी कारक सिद्ध हो सकते हैं।

iii. कुछ विशेष क्रियाकलापों के लिए सार्वजनिक निधि के निर्धारण पर विचार किया जाना चाहिए।

iv. किसी भी शर्त के प्रभावी होने के लिए सार्वजनिक निधि की राशि अर्थपूर्ण होनी चाहिए।

v. राजनीतिक बहुलवाद को प्रोत्साहित करने के लिए सचेतन प्रयास किए जाने चाहिएं। उदाहरणस्वरूप, यह अच्छा प्रयोग है कि सार्वजनिक निधि की पात्रता सीमा संसद सदस्य के लिए निर्धारित पात्रता से कम स्तर पर निर्धारित की जानी चाहिए, तथापि सहायता का एक न्यूनतम स्तर अपेक्षित होना चाहिए।

vi. मीडिया चैनलों में दलों/अभ्यर्थियों के लिए मुफ्त समय या स्थान प्रदान किए जाने का प्रावधान पेड मीडिया विज्ञापन का सम्पूरक हो सकता है।

**ख.4 राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग**

i. राज्य तथा राजनीतिक दलों के मध्य स्पष्ट अंतर होना चाहिए।

ii. राज्य के संसाधनों के दुरूपयोग के विरूद्ध उपाय किए जाने चाहिएं। पार्टी द्वारा अपने अनुचित लाभ के लिए राज्य निधियों, संसाधनों या सत्ता का प्रयोग अस्वीकार्य है।

iii. राज्य के स्वामित्व वाली या आंशिक रूप से राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों के चंदे पर प्रतिबंध लगाने से राज्य के संसाधनो के अप्रत्यक्ष रूप से दुरूपयोग से भी बचा जा सकता है।

iv. सार्वजनिक क्षेत्र के मीडिया स्रोतों द्वारा निर्वाचन प्रचार अभियान का कवरेज यथार्थ, निष्पक्ष एवं संतुलित रूप में किया जाए।

v. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (सोशल मीडिया सहित) के लिए एक सामान्य आचार संहिता तैयार की जाए ताकि उनके द्वारा निर्वाचन अवधि के दौरान सभी राजनीतिक दलों, अभ्यर्थियों एवं अन्यों के प्रचार अभियान कवरेज को कारगर बनाया जा सके, जिससे सभी पणधारियों के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध करवाया जा सके एवं इसे बनाए रखा जाए।

vi. सरकारी कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल के लिए कार्य करने या आर्थिक सहयोग देने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए।

vii. दलों तथा अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन के दौरान राज्य के संसाधनों के प्रयोग को किसी उपयुक्त एवं स्वतंत्र निकाय द्वारा मॉनीटर किया जाना चाहिए।

**ख.5 पारदर्शिता सम्बंधी दिशानिर्देश तथा राजनीतिक वित्तपोषण का सार्वजनिक प्रकटन**

i. धन एवं राजनीति के मध्य स्वस्थ संबंधों के लिए दल एवं अभ्यर्थी के वित्तपोषण की पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। इससे भ्रष्टाचार से लड़ने में मदद मिलती है तथा मतदाताओं को पूर्व सूचित विकल्प चुनने में मदद मिलती है। अनेक राजनीतिक वित्तपोषण विनियामक उपायों की प्रभावकारिता सूचना के पारदर्शी रूप में प्रकटन किए जाने तथा इसकी होने वाली संभावित जांच पर निर्भर करता है।

ii. पारदर्शिता के लिए यह अपेक्षित है कि निर्वाचन प्रचार वित्त पोषण सूचना पर्याप्त विवरण के साथ और सुगम्य फार्मेट में जनता को यथाशीघ्र प्रकट कर

दी जाए। प्रचार एवं गैर-प्रचार दोनों राजनैतिक दलों का वित्तीय डाटा सर्च किए जाने योग्य एवं यंत्र पठनीय फार्मेट में निरीक्षण एजेंसी के माध्यम से जनता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

iii. इस प्रकार से, गैर राज्यीय संस्थाएं/निकाय त्रुटियों या उल्लंघनों को चिह्नित करने में मदद कर सकते हैं, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए डाटा का प्रयोग कर सकते हैं और सुधारों की संस्तुति कर सकते हैं और इससे मतदाताओं की अपेक्षाएं परिवर्तित होंगी और इसके परिणामस्वरूप राजनीतिज्ञों का व्यवहार परिवर्तित होगा।

iv. गैर-प्रचार अवधि में, राजनैतिक दलों से अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे कम से कम वार्षिक आधार पर निरीक्षण एजेंसी को अपनी प्रकटन रिपोर्ट प्रस्तुत करें। रिपोर्ट में मदवार एवं सार सूचना, दोनों निहित होनी चाहिएं और निरीक्षण एजेंसी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

v. अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिएं।

**ख.6. रिपोर्टिंग संबंधी आवश्यकताएं**

i. रिपोर्ट में राजनैतिक दलों एवं अभ्यर्थियों दोनों का रुटीन राजनैतिक दल वित्त एवं प्रचार वित्त दोनों शामिल होने चाहिएं। तृतीय पक्षकार द्वारा किया गया कोई भी उपगत व्यय भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

ii. रिपोर्ट में सभी अंशदान एवं व्यय, वित्तीय, वस्तु रूप एवं सेवा रूप में, शामिल किए जाने चाहिएं। रिपोर्ट में सार सूचना के साथ-साथ मदवार सूचना भी होनी चाहिए।

iii. दलों एवं अभ्यर्थियों (एवं किसी अन्य पणधारी/एजेंसी जिसके लिए रिपोर्ट करना अपेक्षित हो) के लिए रिपोर्टिंग फार्मेट मानकीकृत फार्मेट में होना चाहिए ताकि डाटा की तुलना की जा सके।

iv. सभी दलों एवं अभ्यर्थियों को अपनी परिसंपत्तियों और देयताओं का सार्वजनिक प्रकटन करना चाहिए।

v. वित्तीय रिपोर्टिंग में राजनैतिक दल के समेकित लेखा परीक्षित लेखे भी शामिल करने चाहिएं।

vi. प्रशासनिक बोझ कम करने और डाटा के सत्यापन को सरल बनाने के लिए रिपोर्टिंग जहां उपयुक्त हो, ऑनलाइन या समर्पित सॉफ्टवेयर के द्वारा की जानी चाहिए।

vii. दलों एवं वैयक्तिक अभ्यर्थियों, दोनों के लिए, प्रचार अभियान रिपोर्ट यथोचित एवं निर्धारित समय सीमा के अंदर उपयुक्त प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए।

**ख.7.नियामक प्राधिकरण**

**i.** राजनैतिक वित्त विनियमों का निरीक्षण करने एवं इनके प्रवर्तन के लिए प्रभारी प्राधिकरण (प्राधिकरणों) को अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित अधिदेश, स्वतंत्रता एवं संसाधन प्रदान किए जाने चाहिएं। नियामक प्राधिकरण की प्रकृति गैर-राजनैतिक होनी चाहिए तथा राजनैतिक दलों एवं सरकार से इसे स्वतंत्र होना चाहिए। विधि में यह स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि राजनैतिक वित्त रिपोर्टों को प्राप्त करने और राजनैतिक वित्त विनियम का अनुवीक्षण करने एवं प्रवर्तन करने के लिए कौन से संस्थान उत्तरदायी हैं।

**ख.8. अनुपालन**

i. दल एवं अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत वित्त पोषण सूचना का पर्याप्त रूप से अनुवीक्षण करने एवं सत्यापन करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिएं और प्रावधान किए जाने चाहिएं। पदनामित प्राधिकारी के पास दल एवं अभ्यर्थी की वित्त पोषण रिपोर्टों का लेखा-परीक्षण करने का अधिकार होना चाहिए। लेखा परीक्षण के लिए स्पष्ट एवं निष्पक्ष प्रक्रिया बनाई जानी चाहिए।

ii. राजनीतिक वित्त विनियम के सर्वोत्तम अनुपालन और प्रवर्तन के लिए दलों एवं अभ्यर्थियों को सूचना, सलाह एवं सहायता प्रदान करने के माध्यम से निरीक्षण एजेंसी द्वारा अनुपालन को सरल बनाना चाहिए। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जहां निर्वाचन सम्बन्धी आयोगों द्वारा ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑनसाइट एवं टेलिफोन हेल्पलाइन के माध्यम से ऐसी सहायता एवं परामर्श प्रदान किया गया है।

**ख.9. प्रवर्तन**

i. यदि विनियमों का उल्लघंन किया जाता है तो दण्ड-विधान का स्पष्ट एवं यथोचित तंत्र होना आवश्यक है जो यथोचित समय सीमा के अंदर व्यवहार में लाया जा सके। विशिष्ट उल्लंघनों की गम्भीरता को प्रदर्शित करने के लिए दण्ड विधान की एक श्रृंखला होनी चाहिए, दण्ड-विधानों की प्रकृति निवारक होनी चाहिए और इन्हें प्रासंगिक बनाने के लिए समय सीमा के रूप में जारी किया जाना चाहिए।

ii. प्रभावी रूप से प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विधि के अनुसार उपयुक्त सिविल एवं दाण्डिक प्रावधानों को रखा जाना चाहिए।

* * *